

कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाडी,
धौलपुर (राज.)

क्रमांक 193

दिनांक 29.06.2020

आम-सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 20/पी.आई./2020 दिनांक 12.06.2020 के परिप्रेक्ष्य में सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र व नए पेश होने वाले प्रकरणों में सुनवाई का समय 10.30 एम से 12.00 पीएम रहेगा, उस दौरान जहां तक संभव हो वीडियो/ऑडियो कॉल के माध्यम से ही सुनवाई करवाये जाने का प्रयास करें।

दिनांक 29.06.2020 से 31.07.2020 तक केवल मात्र बहस के प्रकरणों व अत्यावश्यक प्रार्थना पत्रों में ही सुनवाई होनी है, इसलिए ऐसे प्रकरणों के न्यायालय में सुनवाई का समय भी नियत किया गया है, जो एडवॉन्स में ही सीआईएस में नियत कर दिया जावेगा व अन्य प्रकरणों में आगामी पेशी भी एडवॉन्स में ही नियत कर दी जावेगी जो न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट ecourts.gov.in प्राप्त एडवॉन्स में ही देख सकते हैं ताकि न्यायालय में अनावश्यक न आना पड़े।

(सुन्दरलाल बंशीवाल)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बाडी, जिला धौलपुर

क्रमांक : 194-195

दिनांक 29.06.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बाडी को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बाडी, जिला धौलपुर